तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री /टी.ए./6038/2005/भीलवाड़ा** **नूरमोहम्मद बनाम मरियम** **अपील डिक्री /टी.ए./36/2005/भीलवाड़ा** **मरियम बाम नूरमोहम्मद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.06.23	**खण्डपीठ** **डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **डॉ0 गिरीश पाराशर, सदस्य** उपस्थित– श्री योगेन्द्र सिंह, (अभिभाषक अपीलांट अपील संख्या 6038/05 व अभिभाषक रेस्पोडेन्ट अपील संख्या 36/06) श्री मोहम्मद सदीक शेख व श्री दुर्गेश्वर शर्मा, (अभिभाषक रेस्पो. अपील संख्या 6038/05 व अभिभाषक अपीलांट् अपील संख्या 36/06) **–आदेश–** यह दोनों द्वितीय अपीलें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–01–2003 व 28–09–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। दोनों प्रकरणों निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक समान निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे। योग्य अधिवक्ता उभय पक्षों ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा पक्षकारान् के मध्य राजीनामा हो जाने का प्रार्थनापत्र दिनांक 13–04–2023 को प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ मूल राजीनामें की प्रति प्रस्तुत की गयी, जिसे राजस्व मण्डल की माननीय खण्डपीठ के आदेशानुसार दिनांक 13–04–2023 को अतिरिक्त निबन्धक (न्याय) राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा तस्दीक किया गया। अतः उक्त तस्दीकशुद्धा राजीनामें अनुसार अपील को निर्णित किया जावे। उनका यह भी कथन है कि अपील में उभय पक्षकारान/खातेदारान को मध्य आपसी समझाईश व लोक भावना के तहत राजीनामा हो चुका है, जिसके अनुसार चांद मोहम्मद शेख के तीनों पुत्रों का आराजी जैर में 1/3 – 1/3 हिस्सा होना तय हुआ है तथा जिसमें किसी पक्षकार को कोई गुरेज एवं नाराजगी नहीं है। राजीनामें पर सभी पक्षकारान के हस्ताक्षर भी है एवं अतिरिक्त निबन्धक (न्याय) में उनकी पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गयी है। अतः राजीनामें अनुसार पर्चा डिक्री पारित की जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण भी प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से सहमत है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **अपील डिक्री /टी.ए./6038/2005/भीलवाड़ा** **नूरमोहम्मद बनाम मरियम** **अपील डिक्री /टी.ए./36/2005/भीलवाड़ा** **मरियम बाम नूरमोहम्मद**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हमने उभय पक्षों के अधिवक्तागण की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने के कथन एवं आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के मद्देनजर अपील के गुणावगुणों पर किसी प्रकार का विवेचन किये बिना अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर मूल प्रकरण विचारण न्यायालय को राजीनामे की वैधानिकता की जांच कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है।

परिणामतः भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16–01–2003 व 28–09–2005 एवं उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय एव डिक्री दिनांक 28–01–2003 व 16–01–2003 को निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13–04–2023 के साथ संलग्न राजीनामें की वैधानिकता की जांच कर तद्नुसार विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री का आदेश पारित करें।

न्याय शाखा प्रभारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र दिनांक 13–04–2023 के साथ संलग्न राजीनामें की मूल प्रति विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न करे तथा उसकी एक प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु राजस्व मण्डल की अपील पत्रावली में संलग्न की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों को अभिलेख नियमानुसार निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 गिरीश पाराशर)
सदस्य

(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)
सदस्य